22/12/23	पत्रावली पेश हुई। आज पत्रा प्रार्थीगण किरण अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। निगरानी निर्णय पृथक से लिखकर जारी [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] के कम्प होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–28 / 23 तारीख रजु:–17.7.2023

उनवान

1. वलीचरण पुत्र मिश्री
2. मु.भोती पत्नि श्रीलाल
3. शिवसिंह पुत्र श्रीलाल

   सभी निवासी गांव छेड़ का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मेघबाई पत्नि चौथीलाल आयु 65 साल
2. मुनेश पुत्र चौथीलाल आयु 45 साल
3. रोशन पुत्र भोंदू आयु 65 साल

   सभी जाति मीना निवासी छेंड का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
4. हुकमबाई पुत्री चौथीलाल पत्नि प्रेमसिंह आयु 30 साल
5. गुड़डी पुत्री चौथीलाल पत्नि पूरण आयु 32 साल जातियान मीना निवासी छेंड का पुरा तहसील मासलपुर हाल निवासी इन्दरपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
6. सम्मतबाई पुत्री चौथीलाल पत्नि पप्पू आयु 28 साल जाति मीना निवासी छेंड का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली हाल निवासी बाडौती तहसील सपोटरा जिला करौली
7. आशा पुत्री चौथीलाल पत्नि मनोज आयु 25 साल जाति मीना निवासी छेंड का पुरा तहसील मासलपुर हाल निवासी गुडें वटीकरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
8. निरी पुत्री चौथीलाल पत्नि आशु आयु 22 साल जाति मीना निवासी छेंड का पुरा तहसील मासलपुर लाल निवासी गढी डोमई तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर

–अप्रार्थीगण

–::प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 आर टी एक्ट::–

–::निर्णय::– दिनांक:–22/12/23

Signature Not Ve
Digitally signed by P
Date: 2026.05.01 13
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि गांव छेडकापुरा पटवार हल्का भावली तहसील व जिला करौली में स्थित है जिसका रास्ता हमेशा से आराजी खसरा नं0 1068 आम रास्ते में होकर खसरा नम्बर 1066 में होकर चलता आ रहा है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नक्शे में वरंग लाल से दर्शित कर बनाया गया है जो कदीमी रास्ता है इस रास्ते के अलावा हमारे खातेदारी की जमीनों पर पैदल आने जाने को व ट्रैक्टर ट्रोली व अन्य आवश्यक साधन कृषि कार्य हेतु लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नही हे रास्तें की जमीन के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

लिये 10 फिट चौडाई की खसरा नं0 1068 आम रास्ता में होकर खसरा नं0 1066 में होकर प्रवेश करते है एव हम अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1065, 1064, 1056, 1057, 1055, 1073, 1072 में आते है जो हमारी खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीयान मेघवाई वगै0 हमारे खेतों को आने जाने का रास्ता खसरा नं0 1066, में होकर है जिसे बंद करने पर आमदा है। यह कि ग्राम छेंडकापुरा पटवार हल्का भावली तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1068 आम रास्ते में होकर पश्चिम दिशा के रास्ते में होकर खसरा नं0 1066, में होकर हमेशा हमेशा से प्रवेश कर आते जाते रहे है अप्रार्थीगणों की खातेदारी खसरा नं0 1066 जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उनके खातेदार है। उन्होंने हमारा प्रार्थीयान का रास्ता चाहा गया है उसको हमारे द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में हमारे द्वारा डाल गये वरंग लाल मार्क में होकर खसरा नं0 1068 मे होकर आम रास्ता में होकर खसरा नं0 1066 में होकर खसरा नं0 1065 वादीगण तक आने जाने को 10 फीट चौडाई का रास्ता इस आवेदन के तहत क्लेम किया है जिसकी स्वीकृति हम प्रार्थीयान के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया जाना है। हम प्रार्थीयान उचित दर से धनराशि नियमानुसार अदा करने को तैयार है। खातेदार चौथी को मृत्यु हो चुकी हैं कि जिसके वारिसान अप्रार्थीगण सं0 1, 2, व 4 लगायत 8 है जिन्हें अप्रार्थीगण दर्ज किया है। खसरा नम्बर 1068 आम रास्ता में होकर खसरा नम्बर 1066 स्थित ग्राम छेंडकापुरा पटवार हल्का भावली तहसील मासलपुर जिला करौली में से अपनी आराजी आराजी खसरा नम्बर 1065 को जाने हेतु व दीगर खसरा नम्बरों को जाने हेतु 10 फीट चौडाई के रास्ते के लिये प्रस्तुत नक्शा अनुसार वरंग लाल स्थल पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाकर राजस्व रिकार्ड में हम प्रार्थीयान की खातेदारी की भूमि ख.न. 1065, 1064, 1056, 1057, 1055, 1073, 1072 के आवागमन के लिये रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करें। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नंबर 1 ता 8 ने उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की जमीन जो अपनी खातेदारी की होना बताया है उसमे जाने जाने के लिये रास्ता खसरा नं0 1066 में होकर कभी नही रहा है ना ही कोई 10 फुट का रास्ता मौके पर है ना ही पैदल का कोई रास्ता है अप्रार्थीगण ने जो ख0न0 1065, 1064, 1056, 1057, 1055, 1073, 1072, अपने बताये है जिनका रास्ता जो ख0न0. 1068 बताया है उसमें छोकर कोई रास्ता नही है जिनकी रास्ता इनका रास्ता 1068 की बगल में नले में होकरर हमेशा का रहा है जो रिकार्ड में नक्शे में अलग से दर्शाया गया है। ख0न0 1068 में से 1066 में जाने का कोई रास्ता नही है हमेशा नले में होकर प्रार्थीगण दर.देहन्दा आते जाते रहे है और काश्त सामान लाने ले जाने का रास्ता भी इसी में होकर है। प्रार्थीगण की जमीन में होकर कभी कोई रास्ता नही है ना ही रास्ता धारा 251ए. राज. काश्तकारी अधि0 के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है

Signature Not Ve
Digitally signed by P
Date: 2026.05.01 13
Reason: SelfAttested

क्योंकि पूर्व से ही हमेशा का रास्ता व सारी जमीनों को आने जाने के लिये स्थित है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की जमीन में होकर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1066 के लिए खसरा नंबर 1068 में से रास्ता चाहा गया है जो कि चारागाह भूमि है।

बहस वकील सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि गांव छेंडकापुरा पटवार हल्का भावली तहसील व जिला करौली में स्थित है जिसका रास्ता हमेशा से आराजी खसरा नं0 1068 आम रास्ते में होकर खसरा नम्बर 1066 में होकर चलता आ रहा है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नक्शे में वरंग लाल से दर्शित कर बनाया गया है जो कदीमी रास्ता है इस रास्ते के अलावा हमारे खातेदारी की जमीनों पर पैदल आने जाने को व ट्रैक्टर ट्रोली व अन्य आवश्यक साधन कृषि कार्य हेतु लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नही है रास्ते की जमीन के लिये 10 फिट चौडाई की खसरा नं0 1068 आम रास्ता में होकर खसरा नं0 1066 में होकर प्रवेश करते है एव हम अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1065, 1064, 1056, 1057, 1055, 1073, 1072 में आते है जो हमारी खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीयान मेघवाई वगै0 हमारे खेतों को आने जाने का रास्ता खसरा नं0 1066, में होकर है जिसे बंद करने पर आमदा है। यह कि ग्राम छेंडकापुरा पटवार हल्का भावली तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1068 आम रास्ते में होकर पश्चिम दिशा के रास्ते में होकर खसरा नं0 1066, में होकर हमेशा हमेशा से प्रवेश कर आते जाते रहे है अप्रार्थीगणों की खातेदारी खसरा नं0 1066 जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उनके खातेदार है। उन्होंने हमारा प्रार्थीयान का रास्ता चाहा गया है उसको हमारे द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में हमारे द्वारा डाल गये वरंग लाल मार्क में होकर खसरा नं0 1068 मे होकर आम रास्ता में होकर खसरा नं0 1066 में होकर खसरा नं0 1065 वादीगण तक आने जाने को 10 फीट चौडाई का रास्ता इस आवेदन के तहत क्लेम किया है जिसकी स्वीकृति हम प्रार्थीयान के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया जाना है। हम प्रार्थीयान उचित दर से धनराशि नियमानुसार अदा करने को तैयार है। खातेदार चौथी को मृत्यु हो चुकी हैं कि जिसके वारिसान अप्रार्थीगण [illegible] 4 लगायत 8 है जिन्हें अप्रार्थीगण दर्ज किया है। खसरा नम्बर 1068 आम रास्ता में होकर खसरा नम्बर 1066 स्थित ग्राम छेंडकापुरा पटवार हल्का भावली तहसील मासलपुर जिला करौली में से अपनी आराजी आराजी खसरा नम्बर 1065 को जाने हेतु व दीगर खसरा नम्बरों को जाने हेतु 10 फीट चौडाई के रास्ते के लिये प्रस्तुत नक्शा अनुसार वंरग लाल स्थल पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाकर राजस्व रिकार्ड में हम प्रार्थीयान की खातेदारी की भूमि ख.न. 1065, 1064, 1056, 1057, 1055, 1073, 1072 के आवागमन के लिये रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करें। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.05.01 13:
Reason: SelfAttested

बहस वकील अप्रार्थी सुनी गई। प्रार्थीगण की जमीन जो अपनी खातेदारी की होना बताया है उसमे जाने जाने के लिये रास्ता खसरा नं0 1066 में होकर कभी नही रहा है ना ही कोई 10 फुट का रास्ता मौके पर है ना ही पैदल का कोई रास्ता है अप्रार्थीगण ने जो ख0न0 1065, 1064, 1056, 1057, 1055, 1073, 1072, अपने बताये है जिनका रास्ता जो ख0न0. 1068 बताया है उसमें छोकर कोई रास्ता नही है जिनका रास्ता इनका रास्ता 1068 की बगल में नले में होकरर हमेशा का रहा है जो रिकार्ड में नक्शे में अलग से दर्शाया गया है। ख0न0 1068 में से 1066 में जाने का कोई रास्ता नही है हमेशा नले में होकर प्रार्थीगण दर.देहन्दा आते जाते रहे है और काश्त सामान लाने ले जाने का रास्ता भी इसी में होकर है। प्रार्थीगण की जमीन में होकर कभी कोई रास्ता नही है ना ही रास्ता धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधि0 के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है क्योंकि पूर्व में ही हमेशा का रास्ता व सारी जमीनों को आने जाने के लिये स्थित है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की जमीन में होकर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील प्रार्थीयान एवं अप्रार्थी का मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 1068 चारागाह में होकर खसरा नंबर 1066 तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है। खसरा नंबर 1068 चारागाह होने से बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृति किया जाना विधि अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि चारागाह भूमि में कोई अधिकार प्रार्थीयान को किसी प्रकार के प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीयान चारागाह भूमि में होकर कोई रास्ता स्वीकृत कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण खारिज जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.01 13:01:37
Reason: Self Attested

(प्रेमराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली